EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page No. 2315

Dated 9-5-2009

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2009

का. आ. 1210.—परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 के नियम 3 (3) (X) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग अधिसूचना (भारत सरकार के दिनांक 12-10-2006 के राजपत्र में प्रकाशित का. आ. सं. 4072) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि बीच सैन्ड मिनरल्स (BSM) प्रोसेसिंग फैसिलिटिज, जो इल्मेनाईट, रूटाईल, ल्यूकोजीन, जर्कान, सिलिमेनाईट, गार्नेट तथा मोनाजाईट के उत्पादन हेतु खनन एवं खनिजों का पृथक्करण करती है तथा इन बीच सैन्ड खनिजों का भौतिकीय अथवा रासायनिक प्रक्रिया संसाधन करती हैं, उन्हें परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 के नियम 3 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

[संदर्भ: एइए/16(1)/2008-ईआर/1120]

सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्, सक्षम प्राधिकारी

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April , 2009

S.O. 1210.—In exercise of the powers conferred by Rule 3 (3) (x) of the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 and the Department of Atomic Energy Notification (S. O. No.4072 published in the Gazette of India dated 12-10-2006), it is hereby notified that Beach Sand Minerals (BSM) processing facilities carrying out mining and mineral separation for production of ilmenite, rutile, leucoxene, zircon, sillimanite, garnet & monazite and physical or chemical processing of these BSM are required to apply for licence under Rule 3 of the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004.

[Ref: AEA/16(1)/2008-ER/1120]

S.K. SHARMA, Chairman

Atomic Energy Regulatory Board

Competent Authority

MGIPRRND—1708 Atomic Engery/2009—100.